निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –244/2018 दिनांकः–01.06.2022

अनवान

1. धनराज पिता गोकल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. बालु पिता गोकल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. शंकर पिता गोकल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ

----वादीगण

।। बनाम ।।

1. श्यामा पिता चुनिया जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. प्रभु पिता चुनिया जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. मोहन पिता मथरा जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. बंशी पिता मथरा जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. रामेश्वर पिता मथरा जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. श्यामु पिता मथरा जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
7. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ

----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र आदेश 07 नियम 01,02 जा0दि0 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि :--

1. यह कि वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम मानपुरा प0ह0 रेवलिया खुर्द के खाता संख्या 130 पर दर्ज आराजी नम्बर 520 रकबा 0.37 हैक्ट, आराजी नम्बर 530

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

रकबा 0.33 हैक्ट, आराजी नम्बर 531 रकबा 0.12 हैक्ट, आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्ट, आराजी नम्बर 542 रकबा 0.24 हैक्ट, आराजी नम्बर 543 रकबा 0.16 हैक्ट, आराजी नम्बर 545 रकबा 0.21 हैक्ट, आराजी नम्बर 549 रकबा 0.14 हैक्ट कुल किता 08 कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर कृषि भूमि अवस्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी 2071 से 2074 एवं मिलानशीट, जमाबंदी संवत् 2012 से 2015, फोटो प्रति बहनामा संलग्न वाद पत्र है।

2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर के साबिक आराजी नम्बर 218 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार श्री किशना पिता नंदा जी ब्राहमण निवासी मानपुरा से वादीगण के पिता एवं दादाजी भेरा पिता बगतराम जी जाट निवासी मानपुरा से बिल एवज 400/- रू. अक्षरे चार सौ रूपये में दिनांक 29.11.1967 को जरिये पंजीकृत बहनामा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, उसी दिनांक से वादीगण के पिता एवं दादाजी काबिज रहे है एवं उनकी मृत्यु उपरांत वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है।

3. यह कि वादीगण के पिता एवं दादाजी ने जरिये बहनामा दिनांक 29.11.1967 को उक्त आराजीयात खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से वह काबिज चले आ रहे हैं । परंतु खरीद दिनांक वादीगण के पिता एवं दादाजी अनपढ होने से एवं नामांतरण की कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं होने से वह उक्त आराजीयात को अपने नाम नामांतरण नहीं खुलवा सके ओर राजस्व रेकार्ड में तत्कालीन खातेदार का नाम दर्ज रह गया एवं तत्कालीन खातेदार विकेता की मृत्यु के उपरांत उक्त आराजीयात विकेता के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई। इसी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादीगण को आराजीयात से बेदखल कर आराजीयात अन्य को रहन,बह,बक्षीस करने पर आमादा हो रहे है, इसलिये वादीगण को आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी सादिर फरमाई जावे।

4. यह कि वाद पत्र की चरण सख्या 01 में वर्णित आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर आराजीयात वादीगण के पिता एवं दादाजी ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से वह उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, परंतु आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में विकेता के वारिसान प्रतिवादीगण का नाम अंकित होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण को आराजीयात से बेदखल एवं आराजीयात अन्य को हस्तांतरित करने पर आमादा हो रहे है,

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के पिता एवं दादाजी द्वारा खरीद की गई आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी, मदालखत न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे एवं आराजीयात को रहन बह बक्षीस व दिगर तरीके से हस्तांतरण नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र की चरण सं. 01 में वर्णित ग्राम मानपुरा प0ह0 रेवलिया खुर्द की आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रवितादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण दोराने वाद वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण को बेदखल नहीं करने एवं वादीगण के उपयोग उपभोग कब्जे आदि में किसी तरह का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करे ना किसी अन्य तरीक से करावे एवं आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को विकय,रहन,बह,बक्षीस आदि नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कराये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर आया कि आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर के साबिक आराजी नम्बर 218 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि खातेदार श्री किशना पिता नंदा जी ब्राहमण निवासी मानपुरा से वादीगण के पिता एवं दादाजी भेरा पिता बगतराम जी जाट निवासी मानपुरा से बिल एवज 400/- रू. अक्षरे चार सौ रूपये में दिनांक 29.11.1967 को जरिये पंजीकृत बहनामा से कय कर कब्जा प्राप्त किया, उसी दिनांक से वादीगण के पिता एवं दादाजी काबिज रहे है एवं उनकी मृत्यु उपरांत वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण के पिता एवं दादाजी ने उक्त क्रयशुदा भूमि का नामांतरण नहीं खुलवाया जिससे की उक्त कयशुदा आराजीयात का नामांतरण विकेता के नाम एवं उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम पर ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। अतः आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना उचित मानते है।

उपखण्ड अधिकारी

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम मानपुरा प0ह0 रेवलिया खुर्द के आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर जिसके साबिक आराजी नम्बर 218 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कृषि भुमि के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के नाम दर्ज होने वाली आराजी नम्बर 539 रकबा 0.57 हैक्टेयर के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी, मदालखत न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे एवं आराजीयात को रहन बह बक्षीस व दिगर तरीके से हस्तांतरण नहीं करे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे।

निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़